

न्यायालय डिविजनल कमिश्नर जोधपुर  
पीठासीन अधिकारी-कैलाश चन्द मीना आई.ए.एस

राजस्व अपील संख्या 222/2021

अपीलाण्ट

बनाम

रेस्पोंडेन्ट्स

1. रामलाल पुत्र चिमनाराम
2. कुम्भाराम पुत्र दुर्गाराम
3. आशादेवी पत्नी खेताराम
4. मोहनराम पुत्र पदमाराम
5. लोगाराम पुत्र राणाराम
6. दीपाराम पुत्र रामजीराम
7. धनाराम पुत्र भीयाराम
8. पन्नाराम पुत्र भगाराम
9. लिखमाराम पुत्र लाखाराम

1. जिला कलेक्टर बाडमेर
2. तहसीलदार धोरीमन्ना जिला बाडमेर
3. ग्राम पंचायत आदर्श लूखू जरिये सरपंच तहसील धोरीमन्ना जिला बाडमेर

सभी निवासी ग्राम आदर्श लूखू,  
तहसील धोरीमन्ना जिला बाडमेर

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956  
विरुद्ध भूमि आवंटन आदेश जिला कलेक्टर बाडमेर क्रमांक:प.12  
(19)राज./2021/1782 दिनांक 22.03.2021

उपस्थित-


1. श्री रोशनलाल वकील अपीलाण्ट्स
2. राजकीय अधिवक्ता रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 व 2
3. श्री लाधूराम पूनिया वकील रेस्पोंडेन्ट संख्या 3

निर्णय

दिनांक 26.08.2022

यह अपील राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत अपीलाण्ट्स ने जिला कलेक्टर बाडमेर द्वारा नवसृजित ग्राम पंचायत आदर्श लूखू के पंचायत घर निर्माण हेतु ग्राम आदर्श लूखू के खसरा नम्बर 100/2 रकबा 572 बीघा किस्म गै.मु.गोचर में से 2.10 बीघा भूमि का निःशुल्क आवंटन के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है।

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से हैं कि सरपंच ग्राम पंचायत आदर्श लूखू द्वारा नवसृजित ग्राम पंचायत आदर्श लूखू के पंचायत घर निर्माण हेतु ग्राम

  
डिविजनल कमिश्नर  
जोधपुर



आदर्श लूखू के खसरा नम्बर 100/2 रकबा 572 बीघा किस्म गै0मु0गोचर में से रकबा 2.10 बीघा भूमि आवंटित करने के निवेदन पर, उक्तानुसार भूमि आवंटन बाबत उपखण्ड अधिकारी धोरीमन्ना एवं तहसीलदार धोरीमन्ना द्वारा प्रस्तावित चारागाह भूमि का वर्गीकरण परिवर्तित कर भूमि आवंटन करने एवं उक्त चारागाह भूमि के वर्ग परिवर्तन के फलस्वरूप चारागाह भूमि की क्षतिपूर्ति हेतु ग्राम पंचायत आदर्श लूखू के राजस्व ग्राम भीलों की बस्ती के खसरा नम्बर 235 रकबा 10.13 बीघा किस्म गै0मु0धोरा में से रकबा 2.10 बीघा भूमि चारागाह में परिवर्तित करने की अभिशंषा की गई। उक्त भूमि आवंटन करने एवं चारागाह की क्षतिपूर्ति हेतु ग्राम पंचायत आदर्श लूखू ने प्रस्ताव संख्या 05 दिनांक 15.10.2020 द्वारा सर्व सहमति से पारित होने से जिला कलेक्टर बाडमेर द्वारा राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) नियम, 1955 के नियम 7 के तहत चारागाह भूमि का वर्गीकरण परिवर्तन कर तहसीलदार धोरीमन्ना द्वारा प्रस्तावित नक्शे में दर्शाये अनुसार राजस्थान भू-राजस्व (स्कूलों, कॉलेजो, चिकित्सालयों, औषधालयों, धर्मशालाओं एवं अन्य लोकोपयोगी भवन के निर्माण हेतु भूमि आवंटन) नियम, 1963 के अन्तर्गत पंचायत घर निर्माण हेतु सरपंच, ग्राम पंचायत आदर्श लूखू को राज्य सरकार के राजस्व (गुप-6) विभाग राज0 जयपुर द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक: प.10(3)राज-6/2001/95 दिनांक 03.11.2020 एवं प.6(25)राज-6/2014 पार्ट/96 दिनांक 03.11.2020 के तहत उल्लेखित शर्तों पर निःशुल्क आवंटन किया गया एवं प्रस्तावित चारागाह भूमि के वर्ग परिवर्तन किए जाने की स्वीकृति प्रदान की गई। इससे व्यथित होकर अपीलान्ट्स ने राज. भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के तहत यह अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की है।

अपील के साथ अपील प्रस्तुत करने में हुए विलंब का क्षमा करने हेतु प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 परिसीमा अधिनियम व शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया। जो न्यायहित में स्वीकार कर हस्तगत प्रकरण का गुणावगुण पर परीक्षण किया गया।

हमने दोनों पक्षों की विद्वान अधिवक्ताओं की बहस सुनी। दौरान सुनवाई अपीलान्ट्स के योग्य अधिवक्ता ने मुख्य रूप से यह निवेदन किया कि उक्त




*[Signature]*  
डिविजनल कमिश्नर  
जोधपुर

पंचायत घर निर्माण हेतु आवंटित भूमि आबादी से करीब डेढ कि.मी. दूर तथा अंतिम छोर की आबादी से 10 कि.मी. दूर स्थित होने से आमजन के लिए असुविधाजनक है व ग्रेवल सडक से जुडी हुई। राज्य सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार ग्राम पंचायत भवन वही बनाया जा सकता है जहां आस-पड़ोस में अन्य सुविधाएं जैसे स्कूल आंगनवाडी केन्द्र, स्वास्थ्य केन्द्र पूर्व से ही मौजूद हो, जबकि आवंटित भूमि के पास इस तरह की सुविधाएं मौजूद नहीं है। आवंटित भूमि का रकबा कम से कम 5 से 10 बीघा होना चाहिए, जिससे भविष्य में राज्य सरकार की मंशा के अनुरूप आवंटित भूमि पर मिनि सचिवालय की स्थापना की जा सके। ग्रा0पं0 लूखू द्वारा प्रस्ताव पारित करने से पूर्व ग्राम सभा की मिटिंग नहीं बुलाई और न ही ग्रामवासियों से सलाह-मशविरा किया गया। इसकी शिकायत ग्रा0पं0 आदर्श की आमजनता द्वारा जिला कलेक्टर महोदय से की गई थी, जिसकी कोई सुनवाई नहीं हुई।



अपीलांट के योग्य अधिवक्ता द्वारा यह भी निवेदन किया गया कि अपील के साथ ग्रामवासी श्री हीरालाल पुत्र वीराराम द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र के अनुसार तहसील धोरीमना के पटवार मण्डल लूखू के ग्राम भीलो की बस्ती के खसरा नम्बर 238 की भूमि उसकी संयुक्त खातेदारी भूमि है। जिसके पास ग्रा0पं0 की सबसे बड़ी स्कूल राउप्रावि भीलो की बस्ती, ग्रा0पं0 का वोटिंग बूथ व आंगनवाडी केन्द्र स्थित है। उक्त विद्यालय एन.एच. 68 के पास आया हुआ है, जिसकी भूमि मेरे द्वारा इसी खसरान से समर्पित की गई है। ग्राम पंचायत भवन के लिए भूमि की आवश्यकता होती है तो मैं इसी खसरान में से राज्य पक्ष में भूमि समर्पित करने को तैयार हूँ। अंत में अपीलांट अधिवक्ता द्वारा अपीलाधीन आदेश को निरस्त कराने का निवेदन किया गया।

जवाब में रेस्पोंड सं0 1 व 2 के राजकीय अधिवक्ता ने अपनी बहस में यह निवेदन किया कि अपीलाधीन आदेश विधि सम्मत है, तथा उक्त समस्त कार्यवाही नवसृजित ग्राम पंचायत आदर्श लूखू के प्रस्ताव पर तहसीलदार धोरीमना की जांच के उपरांत की गई है। अतः अपील अपीलांट खारीज करने का आग्रह किया गया।

  
डिविजनल कमिश्नर  
जोधपुर

रेस्पोंड सं० 3 की ओर से उपस्थित योग्य अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस में मुख्य रूप से यह निवेदन किया कि अपीलार्थीगण की अपील निर्धारित समयावधि से बाहर व गलत तथ्यों पर आधारित है। उक्त अपील राजनैतिक द्वेष भावना से केवल मात्र ग्रा०पं० भवन निर्माण कार्य को रूकवाने के लिए प्रस्तुत की गई है। पंचायत भवन का निर्माण जिला कलेक्टर बाडमेर द्वारा स्वीकृत स्थान पर ही किया जाना चाहिए, जहां अन्य सरकारी भवन निर्माण के लिए भूमि आरक्षित है तथा इसके पास ही राज्य सरकार द्वारा औद्योगिक क्षेत्र स्थापित करने योजना प्रस्तावित है। वकील अपीलांट द्वारा बतलायी गई स्कूल दूसरे गांव की है। आवंटित भूमि पर आदर्श पंचायत भवन का निर्माण कार्य स्वीकृत है, जिसमें सभी कार्यालय व मिनि सचिवालय प्रस्तावित हैं।

हमने उभय पक्ष के अधिवक्ताओं की बहस सुनी एवं पत्रावली व उसके सलग्न दस्तावेजों का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया। जिसके अनुसार सरपंच ग्रा०पं० आदर्श लूखू के पत्रांक 30 दिनांक 24.12.2020 के अनुसार प्रस्तावित भूमि का ग्राम सभा दिनांक 16.10.2020 में प्रस्ताव सं० 5 पारित किया हुआ है, जिसमें ग्राम पंचायत के कार्यालय भवन, सेवा केन्द्र आदि राजकीय भवनों के निर्माण का उल्लेख है एवं प्रस्तावित भूमि के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया हुआ है। तदुपरान्त तहसीलदार धोरीमना की जांच रिपोर्ट के आधार पर उपखण्ड अधिकारी धोरीमना द्वारा उक्त भूमि आवंटन के प्रस्ताव पर अपनी अभिशंका की गई है। अतः उक्त प्रकरण में जिला कलेक्टर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश विधिसममत होने से इसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है।

अतः अपील अपीलांट सारहीन व आधारहीन होने से तदनुसार खारीज की जाती है तथा अपीलाधीन आदेश क्रमांक 1782 दिनांक 22.03.2021 को यथावत बहाल रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 26 अगस्त, 2022 को खुले न्यायालय सुनाया गया।



(कैलाश चन्द मीना)  
जिलाधिकारी  
जोधपुर